

राजस्थान सरकार
राजस्थान गृह-6 विभाग

क्रमांक:- प. 6३।३।राज-6/94/3।

जयपुर, दिनांक:- 1 - 9 - 2000

-: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के राजस्थान अधिनियम संख्या-15 वर्ष 1956 की धारा 260 की धारा ४।४ के खण्ड ५ खंड ५ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस विभाग की अधिसूचना समसंघयक दिनांक 26.4.97 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार एतदद्वारा निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 229 और 230 तथा राजस्थान भू-राजस्व ५ पेमेन्ट, क्रेडिट, रिकवरी स्टड रिफण्डस ५ नियम, 1956 के अधीन जिला कलेक्टर पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं शक्तियों का प्रयोग, जयपुर विहुत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विहुत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर एवं जोधपुर विहुत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर के नियमों के अन्तर्गत देय बकाया राशि की वसूली करने हेतु इन नियमों के सहायक अभियन्ता/अधिकारी सी अभियन्ताओं द्वारा उनके बेताधिकार के भीतर किया जायेगा।

राज्यपाल के अदेश से,

१९/२५८
५ दिवं कुमार शर्मा
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रबन्धक, विहुत वितरण निगम लिंग, जयपुर/अजमेर/जोधपुर।
2. शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. समस्त सभागीय आयुक्त, राजस्थान।
4. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
5. शासन उप सचिव, ऊर्जा विभाग।
6. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
7. उपनिवेशन आयुक्त, बीकानेर।
8. निर्देशक, हरिश चन्द्र माथुर, लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
9. निर्देशक, जनसम्पर्क निर्देशालय, जयपुर।
10. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राज० राजपत्र असाधारण अंक दिनांक 1.9.2000 में प्रकाशनार्थ।
11. "राविरा" राजस्व मण्डल, अजमेर।
12. सर्व उद्देशीय राजस्व प्रशिक्षण संस्थान टोकं।
14. विधि संहिताकरण विभाग।
15. उप निबन्धक ५ वित्त एवं लेहा ५ राजस्व मण्डल अजमेर।
16. रक्षित पत्रावली।

५-१२।-१
सहायक विधि प्राप्तकार